प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ_

कोरम– माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधिपति

और माननीय श्री डी.आर. देशमुख, न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या 2372 / 2006

रिट याचिका संख्या 323 / 2006

रिट याचिका संख्या 4395 / 2006

आदेश हेतु विचारार्थ

सही /–

मुख्य न्यायाधिपति

04/09/2006

माननीय श्री डी.आर. देशमुख

सही/–

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

06/09/2006

आदेश की घोषणा के लिए इसे सूचीबद्ध करें

दिनांक: 07/09/2006

सही/–

मुख्य न्यायाधिपति

08/09/2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम– माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधिपति और

माननीय श्री डी.आर. देशमुख, न्यायाधीश

रिट याचिका क्रमांक 2372/2006

1. शंकर मेंढे पिता नारायण राव मेंढे, निवासी स्टेशन रोड, केलकर पारा, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

2. सुधा भारद्वाज, उम्र लगभग 44 वर्ष, पेशा–अधिवक्ता, पति अनूप सिंह, निवासी लेबर कैंप, जामुल, जिला दुर्ग (छ.ग.)

याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

2. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, खान एवं खनिज संसाधन विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय रायपुर (छ.ग.)

3. राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, मंत्रालय (रेणुका द्वार) के पास शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)

4. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मुख्य सचिव डी.के.एस. भवन, मंत्रालय रायपुर(छ.ग.)

5 शिवराज सिंह, अपर मुख्य सचिव,छत्तीसगढ़ राज्य, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

6. छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा सीईओ/एमडी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

7. भारत संघ, द्वारा सचिव खान एवं खनिज विभाग। शास्त्री भवन, नई दिल्ली

8. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, लोधीरोड, नई दिल्ली

9. सचिव, इस्पात एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली

10. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

11. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय बॉम्बे हाउस 24, होमी मोदी स्ट्रीट, मुंबई–400001 मुंबई (महाराष्ट्र.)

12. एस्सार स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पोस्ट हजीरा, पिन 394270, जिला सूरत (गुजरात)

उत्तरवादी

रिट याचिका संख्या 323/2006

डॉ. प्रताप अग्रवाल पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बी.एन. अग्रवाल, आयु 60, अधिवक्ता, जगदलपुर 494001.

याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अध्यक्ष मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव उद्योग, मंत्रालय, रायपुर 492001

2. कलेक्टर केंद्रीय बस्तर, जगदलपुर: 494001

उत्तरवादी

रिट याचिका संख्या 4395 /2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुदीप श्रीवास्तव पिता श्री वी.पी. श्रीवास्तव, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी मुंगेली नाका, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ द्वारा सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली

2. भारत संघ द्वारा सचिव, कोयला एवं खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (भारत)

3. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रधान सचिव, खनन विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

4. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

5. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार द्वारा अध्यक्ष, परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, नई दिल्ली 110 032 नई दिल्ली।

6. केंद्रीय जल आयोग सेवा भवन द्वारा अध्यक्ष, आर.के. पुरम नई दिल्ली 110066 नई दिल्ली।

7. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, द्वारा सचिव, नानक निवास, सिविल लाइन्स, रायपुर (छत्तीसगढ़)

8. कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

9. कलेक्टर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

10. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे हाउस, 24, होमी मोदी स्ट्रीट, मुंबई 400 001 (महाराष्ट्र)

11. एस्सार स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड, (एस्सार स्टील लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी), पंजीकृत कार्यालय, पोस्ट ऑफिस हजीरा, जिला सूरत (गुजरात) 394270

उत्तरवादी

उपस्थित:–

रिट याचिका संख्या 2372/2006 में याचिकाकर्ता संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा तथा याचिकाकर्ता संख्या 2 सुधा भारद्वाज, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।

याचिकाकर्ता डॉ. प्रताप अग्रवाल, रिट याचिका संख्या 323/2006 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।

रिट याचिका संख्या 4395/2006 में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंद्र श्रीवास्तव के साथ श्री अमृतो दास अधिवक्ता ,याचिकाकर्ता

प्रशांत मिश्रा, विद्वान उप महाधिवक्ता श्री उत्कर्ष वर्मा, विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री शिवराज सिंह, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य के अधिवक्ता।

श्री एस.के. बेरीवाल, भारत संघ के विद्वान स्थायी अधिवक्ता।

श्री एस. पाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एस. मित्रा और श्री संजय के. अग्रवाल, उत्तरवादी/टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता साथ में श्रीमती मीना लाल, प्रमुख – विधिक (कॉर्पोरेट मामले), टिस्को।

श्री विवेक तन्खा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री सचिन सिंह राजपूत, उत्तरवादी/एस्सार स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता।

श्री पी.एस. कोशी, उत्तरवादी/राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

(7 सितंबर, 2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा पारित किया गया:

भारतीय संसद ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम 28, 2000) पारित करके, 01–11–2000 से तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ का नया राज्य बनाया गया । उक्त अधिनियम के उद्देश्यों एवं कारणों के कथन के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(2) छत्तीसगढ़ के नए राज्य ने वर्ष 2004 में पांच वर्ष की अवधि के लिए औद्योगिक नीति तैयार की। औद्योगिक नीति के सुसंगत उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

"(i) राज्य में औद्योगीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाकर अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना;

(ii) प्रचुर मात्रा में, स्थानीय रूप से उपलब्ध खनिज और वन आधारित संसाधनों में अधिकतम मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए सक्षम वातावरण बनाना;

(iii) राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करके संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना;

(iv) राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(v) आर्थिक उदारीकरण से उभरने वाली प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए औद्योगिक उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता उन्नयन को बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना"। यह कहा गया है कि उक्त औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय संतुलन के साथ तीव्र आर्थिक वृद्धि और विकास करना है, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य को देश के विकसित राज्यों के स्तर पर ले जाया जा सके और राज्य में समृद्धि लाई जा सके, ताकि राज्य के औद्योगिक मानक में सुधार हो सके। औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित करने के इच्छुक संभावित निवेशकों को कई प्रोत्साहन, रियायतें और लाभ देने का वादा किया गया है। इन प्रोत्साहनों में अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और करों में छूट और/या आस्थगित भुगतान शामिल हैं।

(3) टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में 'टिस्को') और एस्सार स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड (संक्षेप में 'एस्सार'), उत्तरवादी सं. 11 और 12 तथा उत्तरवादी सं. 10 और 11 ने क्रमशःरिट याचिका संख्या 2372/2006 और 4395/2000 में कहा है कि उन्होंने वर्ष 2005 में राज्य सरकार के शीर्ष और जिम्मेदार अधिकारियों और प्राधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों के जीवन को उन्नत बनाने और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया और एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए आगे आए। उन वार्ताओं और चर्चाओं के परिणामस्वरूप समझौता ज्ञापन (संक्षेप में 'एमओयू') पर हस्ताक्षर किए गए। टिस्को के साथ 04–06–2005 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बस्तर क्षेत्र में 5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए कार्ययोजनातथा छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दिए जाने वाले लाभ, प्रोत्साहन और रियायतें शामिल थीं। एस्सार के साथ इसी तरह का समझौता ज्ञापन 05–07–2005 को बस्तर क्षेत्र में 3.2 मिलियन टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाले इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए किया गया था, जिस पर लगभग 6,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, टिस्को द्वारा प्रस्तुत जवाब में, यह कहा गया है कि निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

> "20.1 यह कि, छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2002 के अंतर्गत तैयार छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2004 के नियम 4(2) के अनुसार, राज्य सरकार ने औद्योगिक परियोजना के लिए आवश्यक भूमि, जल आदि जैसे आवश्यक प्रावधानों के लिए उत्तरदाता को सामूहिक रूप से 'सामान्य आवेदन पत्र' कहे जाने वाले कई औपचारिकताएं प्रदान कीं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
>
> i. गैर–वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए आवेदन;

ii. सरकारी भूमि के आवंटन के लिए आवेदन;

iii. निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए आवेदन।

20.2 यह कि राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से आवश्यक विवरण तैयार करने के बाद, उत्तरदाता ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से केंद्रीय अधिकारी को सामान्य आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

20.3 यह कि औद्योगिक नीति 2004-2009 में बस्तर जिले को 'सबसे पिछड़ी अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र' के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उक्त क्षेत्र को राज्य के अन्य भागों के स्तर पर लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी की परिकल्पना की जा रही है। इसलिए राज्य सरकार के अधिकारियों तथा उत्तरवादी द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया कि औद्योगिक इकाई बस्तर जिले के सालेपाल तथा बारुपाता गांवों में स्थापित की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20.4 यह कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता ने लौह अयस्क खदानों के आवंटन के लिए अपेक्षित आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जो इस्पात निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल में से एक है;

20.5 यह कि इसी प्रकार, जल एवं विद्युत आपूर्ति के लिए उत्तरदाता उत्तरवादी ने संबंधित केंद्रीय/राज्य विधियों के तहत अपेक्षित आवेदन प्रस्तुत किए हैं;

20.6 यह कि जब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उत्तरवादी के आवेदनों की जांच की जा रही थी, तब यह प्रकाश में आया कि सालेपाल तथा बारुपाता गांवों में चिन्हित भूमि में 'किम्बरलाइट' नामक खनिज संसाधन है, जो हीरा युक्त खनिज है;

20.7 ऐसी परिस्थितियों में, उत्तरवादी के पास उद्योग के स्थान को बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था;

20.8 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रावधानों के तहत भूमि का अधिग्रहण और इस उत्तरवादी को उसका आवंटन निवेशक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पुनर्वास योजना के अधीन है, जिसे राज्य आदर्श पुनर्वास नीति, 2005 के तहत और राज्य शासन के अधिकारियों के परामर्श से तैयार किया गया है।"

(5) जब मामला इस प्रकार था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जनवरी, 2006 के महीने में, डॉ. प्रताप अग्रवाल, पिता स्वर्गीय बी.एन. अग्रवाल, अधिवक्ता ने एक अहस्ताक्षरित याचिका, जिसे रिट याचिका के रूप में उच्च न्यायालय में भेजा था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यद्यपि उपरोक्त याचिका पर डॉ. प्रताप अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, लेकिन चूंकि यह तथ्य संबंधितों के संज्ञान में नहीं लाया गया था, इसलिए गलती से इसे जनहित याचिका के रूप में माना जाने का निर्देश दिया गया। उस याचिका (रिट याचिका संख्या 323/206) में निम्नलिखित अनुतोष चाहा गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"i) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर अंतरिम रोक।

ii) किसी भी उद्योग के लिए कृषि भूमि, आबादी स्थल, कब्रिस्तान, मंदिर, तालाब, स्कूल भवन, पंचायत भवन, सड़क, पत्थर खदान का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।

iii) ग्राम पंचायत को उद्योग के पक्ष में प्रस्ताव पारित करने के लिए धमकाया नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्तिगत कृषक, परिवार को सहमति/असहमति के लिए स्वतंत्र अवसर दिया जाना चाहिए और जब तक वे स्वतंत्र सहमति नहीं देते, उनकी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।

iv) भूमि आवंटन या भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रभाव आकलन अध्ययन और इस पर सार्वजनिक सुनवाई के बिना शुरू नहीं होनी चाहिए। कृषकों को अपनी भूमि देने से

मना करने की प्रक्रिया को संरक्षित किया जाना चाहिए।

v) उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत गांवों को नहीं डाला जाना चाहिए, वैकल्पिक रूप से यदि भूमि अधिग्रहण कर उद्योग स्थापित किया जाता है तो अधिग्रहण की तिथि से ही परिवार के प्रत्येक सदस्य को रोजगार की गारंटी दी जानी चाहिए, लाभ में साझेदारी होनी चाहिए, अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने की तिथि से ही स्थानीय अनौपचारिक निदेशक, परियोजना निदेशक स्थानीय होने चाहिए।

vi) उपर्युक्त पैरा 3 में लिखित तर्कों और प्रार्थनाओं के अनुसार माननीय न्यायालय के विवेक पर राहत प्रदान की जानी चाहिए।

vii) टाटा स्टील या किसी अन्य परियोजना की स्थापना की प्रक्रिया कृषि, वनस्पति, जीव, जैव विविधता, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जल–स्त्रोत, वन्य जीव, प्रदूषण नियंत्रण आदि बिंदुओं पर अध्ययन और मंजूरी के बाद सफल होनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

viii) यह किम्बरलाइटिक क्षेत्र है, इसलिए उद्योग को इस्पात सयंत्र के लिए कोई भूमि आवंटित नहीं की जानी चाहिए। आवेदित भूमि किम्बरलाइटिक क्षेत्र का हिस्सा है।

ix) जब तक पारदर्शी तरीके से हर सामग्री जनता के सामने नहीं रखी जाती, तब तक भूमि अधिग्रहण की कोई कार्रवाई शुरू नहीं होनी चाहिए। जो लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते, उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।

x) यदि उद्योग पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है, तो कंपनी के निदेशक मंडल में स्थानीय क्षेत्र से एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा परियोजना निदेशक भी स्थानीय इंजीनियर होना चाहिए। रोजगार के मामले में स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे बुरे रवैये पर अंकुश लगाने के लिए यह आवश्यक है।

xi) किसी भी उद्योग को आवंटित करने के लिए कोई भी भूमि या आबादी खाली

नहीं कराई जा सकती, जो उपरोक्त पैरा 6 में उल्लिखित विधि का उल्लंघन करती हो। इस माननीय न्यायालय द्वारा ऐसी कार्रवाई को अवैध, शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए एक उचित रिट जारी की जानी चाहिए तथा उत्तरवादियों को भूमि अधिग्रहण और किसी भी उद्योग को भूमि आवंटित करने के लिए आगे बढ़ने पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया जाना चाहिए।

xii) न्यायालय यदि उद्योग की आवश्यकता समझता है, तो इस्पात उद्योग को 1000 एकड़ से अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं है तथा अधिक आवेदित भूमि को अस्वीकार किया जाना चाहिए, तथा केवल रिक्त शासकीय भूमि ही आवंटित की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

xiii) नए रायपुर के लिए पुनर्वास पैकेज तथा टाटा स्टील अधिग्रहण के लिए पुनर्वास पैकेज अलग-अलग हैं। दो अलग-अलग फार्मूले तैयार नहीं किए जा सकते तथा इसे अवैध, अकृत और शून्य घोषित किया जाना चाहिए।

xiv) अन्य कोई राहत जो न्यायालय उचित समझे, प्रदान की जाए।

इसके बाद, श्री वी.सी. ओत्तलवार, श्री आर.डी. राय और श्री ओ.पी. अग्रवाल, अधिवक्ताओं ने याचिकाकर्ता की ओर से वकालतनामा दायर किया। न्यायालय ने रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए 23-01-2006 को नोटिस पुनः प्रारंभिक आदेश जारी करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव उद्योग द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए छत्तीसगढ़ शासन और कलेक्टर, केन्द्रीय बस्तर ,जगदलपुर को उक्त रिट याचिका में उत्तरवादी बनाया गया है। नोटिस की तामील पर, उत्तरवादियों की ओर से एक जवाब प्रस्तुत किया गया।

(6) अप्रैल, 2006 के महीने में, श्री शंकर मेंढे और सुश्री सुधा भारद्वाज ने संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टिस्को और एस्सार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की वैधता पर सवाल उठाते

हुए, लोकहित प्रकृति का दावा करते हुए जनहित याचिका के रूप में रिट याचिका क्रमांक 2372/2006 दायर किया। रिट याचिका में उन्होंने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की है:

"I. उत्तरवादियों से मामले के अभिलेख मंगाने की कृपा करें।

ii. एक उत्प्रेषण रिट जारी कर उत्तरवादी राज्य और उत्तरवादियों 11 और 12 के बीच निष्पादित आक्षेपित समझौता ज्ञापनों को रद्द करने की कृपया करें।

iii. सेल, बी.एस.पी. के पक्ष में लौह अयस्क ब्लॉकों को उचित और पर्याप्त मात्रा में आरक्षित रखने के लिए उत्तरवादियों को एक परमादेश जारी करने की कृपा करें।

iv. उत्तरवादी राज्य को एक परमादेश जारी करने की कृपा करें कि वह पहले लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों सहित विशेषज्ञों की टीम द्वारा एक विस्तृत अध्ययन करके उक्त इस्पात संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव के अच्छे और बुरे पहलुओं का मूल्यांकन करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और न्यायसंगत समझे जाने वाले अन्य आदेश देने की कृपा करें, जिसमें याचिकाकर्ताओं को वाद व्यय का भुगतान करना भी शामिल है।

इस न्यायालय ने 21–08–2006 को उक्त रिट याचिका पर विचार करते हुए उत्तरवादी टिस्को और एस्सार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। अन्य उत्तरवादियों की ओर से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता और अन्य स्थायी अधिवक्ता ने नोटिस प्राप्त किया। नोटिस की तामीली पर उत्तरवादी 1 से 5 की ओर से तथा टिस्को और एस्सार की ओर से भी उनके तर्कों के समर्थन में कुछ दस्तावेजों के साथ जवाब प्रस्तुत किया गया। टिस्को ने भी रिट याचिका को पोषणीय नही मानते हुए खारिज करने के लिए अंतरवर्ती आवेदन क्रमांक 6330/2006 प्रस्तुत किया।

(7) उत्तरवादी 1 से 5 द्वारा उठाए गए तर्कों के दृष्टिकोण में कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए समझौता ज्ञापन टिस्को और एस्सार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के सही संस्करण नहीं हैं और चूंकि उत्तरवादी 1 से 5 और अन्य उत्तरवादियों के जवाब के साथ समझौता ज्ञापनों के सही

संस्करण प्रस्तुत किए हैं, इसलिए सही एमओयू को चुनौती देने के लिए रिट याचिका में संशोधन के लिए याचिकाकर्ता ने आई.ए. संख्या 7959/2006 दायर की। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22–05–2006 के आदेश द्वारा उस आवेदन को स्वीकार कर लिया।

(8) इसी बीच, एक अन्य रिट याचिका, रिट याचिका क्रमांक 4395/2006, सुदीप श्रीवास्तव, पिता श्री वी.पी. श्रीवास्तव, निवासी मुंगेली नाका, बिलासपुर द्वारा एक जनहित याचिका के रूप में दायर की गई, जिसके जनहित चरित्र का दावा करते हुए, उसी एमओयू की वैधता पर सवाल उठाया गया। याचिका संख्या 4395/2006 में निम्नलिखित अनुतोष चाहा गया हैं:

"i. यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादियों के कब्जे से समझौता ज्ञापन के निष्पादन से संबंधित संपूर्ण अभिलेखों को अपने अवलोकन के लिए मंगवाने की कृपा करे।

ii. यह माननीय न्यायालय कृपया उचित आदेश/निर्देश जारी करने की कृपा करे, जिससे उत्तरवादी राज्य को उत्तरवादी टाटा स्टील और एस्सार को दिए गए अनावश्यक वचनों, आश्वासनों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने या उन पर कार्रवाई करने से रोका जा सके, ताकि वह याचिका में केंद्रीय और राज्य विधियों लोक नीति और जनहित सुधारों के उल्लंघन के लिए बाध्य हो सके।

iii. यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी टाटा स्टील और एस्सार को उचित आदेश/निर्देश जारी करने की कृपा करे, जिससे उन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से मंजूरी के बिना एकीकृत इस्पात सयंत्र की स्थापना के लिए परियोजनाएं शुरू करने से रोका जा सके, जैसा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक है।

iv. कृपया यह माननीय न्यायालय उचित आदेश/निर्देश भी जारी किए जाएं। उत्तरवादी राज्य को एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए परियोजना के प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण करने और/या ईपीए और एफसीए के प्रावधानों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तहत आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण करने से रोके।

v. यह माननीय न्यायालय राज्य सरकार को उत्तरवादी टाटा स्टील और एस्सार के पक्ष में याचिका में संदर्भित कर रियायतें देने से रोकने के लिए उचित निर्देश/आदेश जारी करने की कृपा कर सकता है।

vi. यह माननीय न्यायालय राज्य को परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों की पहचान के संबंध में उचित नियम और शर्तें लागू करके भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित पुनर्वास नीति को लागू करने का आदेश देने के लिए उचित निर्देश/आदेश जारी करने की कृपा कर सकता है और साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान भी कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

vii. यह माननीय न्यायालय राज्य को सीधे प्रभावित आबादी के मांग चार्टर के अनुसार मुआवजे की नई दर और अन्य सुविधाएं तैयार करने के लिए उचित निर्देश/आदेश जारी करने की कृपा कर सकता है।

viii. कोई अन्य राहत जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वाद व्यय के साथ उचित समझे, याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए।"

उक्त रिट याचिका 22-08-2006 को स्वीकार की गई थी। चूंकि अन्य दो रिट याचिकाएं 22-08-2006 को अंतिम सुनवाई और निराकरण के लिए सूचीबद्ध थीं, इसलिए श्री मनिंद्र श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जोरिट याचिका संख्या 4395/2006 में याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित हुए थे, की सहमति से, उस रिट याचिका को अन्य दो रिट याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया और सभी रिट याचिकाओं पर अंतिम निराकरण के लिए 22-08-2006 और 23-08-2006 को सुनवाई की गई। राज्य और उसके प्राधिकारियों के लिए उपस्थित हुए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा, टिस्को के लिए उपस्थित हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.पाल और एस्सार के लिए उपस्थित हुए

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक तन्खा ने तर्क प्रस्तुत किया कि वे अपने पक्षकारों द्वारा रिट याचिका संख्या 2372/2006 में प्रस्तुत जवाब को रिट याचिका संख्या 4395/2006 में उनके जवाब के रूप में भी अंगीकृत करेंगे ।

(9) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

(10) सुश्री सुधा भारद्वाज, जो कि रिट याचिका क्रमांक 2372/2006 में याचिकाकर्ता क्रमांक 2 हैं, ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ शासन ने टिस्को और एस्सार के साथ आक्षेपित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके बस्तर क्षेत्र के सबसे वंचित, गरीब लोगों के हितों की बलि दी है। उन्होंने तर्क दिया कि समझौता ज्ञापन के तहत सरकार ने औद्योगिक नीति की रोजगार शर्तों से टिस्को और एस्सार को छूट देने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने तर्क दिया कि टिस्को और एस्सार की प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण निजी भूमि के मालिकों को कृषि और आजीविका से वंचित कर देगा। उन्होंने तर्क दिया कि टिस्को और एस्सार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके राज्य शासन ने अपनी स्वयं की आदर्श पुनर्वास नीति का उल्लंघन किया है। उनका तर्क है कि राज्य शासन ने बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति करने पर सहमति जताते हुए किसानों के हितों की बलि दी है और सिंचाई अधिनियम, 1931 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि टिस्को और एस्सार को निजी भूमि सहित साइटों/भूमि के चयन के लिए खुली छूट देने का प्रस्ताव देकर, जिसमें आदिवासी लोगों और अन्य पिछड़े वर्गों और वन भूमि भी शामिल हैं, सरकार ने सभी प्रयोजक विधियों का उल्लंघन किया है। उनका तर्क है कि यदि आक्षेपित एमओयू के तहत परिकल्पित परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है, तो इससे बस्तर के पर्यावरण और जंगलों को अपूरणीय क्षति होगी। उनका तर्क है कि टिस्को और एस्सार के साथ एमओयू पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वन संरक्षण अधिनियम और छतीसगढ़ सिंचाई अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए हस्ताक्षरित किए गए थे। यह तर्क करते हुए अपने कथन को समाप्त किया कि प्रस्तावित परियोजनाओं को यदि अंततः क्रियान्वित किया जाता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है, तो वे पूरी तरह से लोगों के हितों के खिलाफ होंगी; वे पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नष्ट कर देंगी और राज्य सरकार को इन परियोजनाओं की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और वे न तो आम जनता के हित में हैं और न ही राज्य के हित में हैं।

(11) डॉ. प्रताप अग्रवाल, जो रिट याचिका संख्या 323/2006 में याचिकाकर्ता हैं, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और अपना तर्क प्रस्तुत किया । डॉ. प्रताप अग्रवाल ने सुश्री सुधा भारद्वाज के तर्कों को स्वीकार करते हुए यह तर्क दिया कि टिस्को और एर को अपने संयंत्रों की स्थापना के लिए जिन भूमियों की आवश्यकता है, वे अनुसूचित क्षेत्रों में आती हैं, इसलिए राज्य सरकार को टिस्को और एस्सार के साथ आक्षेपित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने से पहले पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों की धारा 4 के खंड (i) के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार संबंधित ग्राम सभाओं या पंचायतों की सहमति लेनी चाहिए थी, क्योंकि संबंधित ग्राम सभाओं या पंचायतों की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी विकासात्मक परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) रिट याचिका संख्या 4395/2006 में याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत श्री मनिंद्र श्रीवास्तव ने तर्क किया कि राज्य सरकार द्वारा टिस्को और एस्सार के पक्ष में उनके संबंधित समझौता ज्ञापनों में निहित वचनबद्धताएं, आश्वासन और प्रतिबद्धताएं वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, एमएमआरडी अधिनियम, 1957; वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981; जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के साथ–साथ विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य पुनर्वास नीतियों का उल्लंघन हैं। उनका तर्क है कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए ऐसे वचन, आश्वासन और प्रतिबद्धताएं दी हैं। उनका तर्क है कि राज्य सरकार को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरी के पारस्परिक वचन के बिना निर्धारित समय के भीतर टिस्को और एस्सार को आवश्यक भूमि देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध नहीं करना चाहिए था और कहा कि आक्षेपित एमओयू के तहत परिकल्पित परियोजनाएं लोक प्राधिकार का घोर दुरुपयोग है और सतत विकास के एहतियाती

सिद्धांत के भी खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि एमएमआरडी अधिनियम और खनिज रियायत नियमों के वैधानिक प्रावधानों के तहत अधिमान्य पात्रता के बावजूद खनन पट्टे देने के संबंध में एमओयू की शर्तें और नियम विधि का उल्लंघन हैं। उनका कहना है कि ई आई ए अधिसूचना के तहत आवश्यक पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी लिए बिना भूमि अधिग्रहण करने / किसी भी भूमि के टुकड़े को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की राज्य सरकार की कार्रवाई अवैधानिक और प्राधिकार से बाहर है। उन्होंने कहा कि समुचित प्राधिकारी मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग की संस्तुति के बिना जल उपलब्ध कराने का राज्य सरकार का उपक्रम भी अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि संसाधनों का संदर्भ दिए बिना विशाल विद्युत आवश्यकता उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पूरी तरह से मनमानी और तर्कहीन है। श्री मनिन्द्र श्रीवास्तव ने अपना तर्क यह कहते हुए समाप्त किया कि आक्षेपित समझौता ज्ञापनों में शामिल नियम और शर्तें पूरी तरह से सामान्य रूप से जनहित और विशेष रूप से बस्तर जिले के आदिवासी लोगों के हित के विरुद्ध हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) इसके विपरीत, राज्य सरकार और उसके प्राधिकारियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा ने तर्क प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ सरकार अपनी स्थापना के समय से ही राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नीतिगत पहल कर रही है, ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा करने और सामान्य रूप से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए नई आर्थिक गतिविधियों को उत्पन्न किया जा सके, और विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी रहते हैं और इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने 1 नवंबर, 2004 से पांच साल की अवधि यानी 2004–2009 के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति तैयार की है। नई औद्योगिक नीति में राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन और रियायतें प्रदान की गई हैं। तदनुसार, राज्य सरकार को आर्थिक रूप से पिछड़े बस्तर क्षेत्र में इस्पात सयंत्र लगाने के लिए टिस्को और एस्सार से प्रस्ताव प्राप्त हुए, जहाँ लौह अयस्क के भंडार हैं, जो इस्पात बनाने के लिए बुनियादी कच्चा माल है। उन्होंने कहा कि टिस्को और एस्सार दोनों ही इस्पात निर्माण के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने क्रमशः जमशेदपुर और हजीरा में ऐसे प्लांट पहले ही स्थापित कर लिए हैं। तदनुसार, सामान्य रूप से राज्य के सर्वोत्तम हित और विशेष रूप से

बस्तर क्षेत्र के लोगों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त किए गए सभी आरोप, आशंकाएं, संदेह निराधार, प्रेरित और बिना किसी जवाबदेही के हैं। उन्होंने इस आरोप का दृढ़ता से खंडन किया कि बस्तर क्षेत्र में स्थापित होने वाले इस्पात सयंत्र आदिवासी, पर्यावरण, वनस्पतियों और जीवों के लिए हानिकारक होंगे और दूसरी ओर, उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया किं कि इससे हर संभव तरीके से क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया किं कि टिस्को और एस्सार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन किसी भी तरह से संविधान के किसी भी प्रावधान, किसी भी क़ानून, नियम और विनियमन का उल्लंघन नहीं करते हैं जो इस क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, सिंचाई अधिनियम, 1931 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र के बड़े हिस्से में नक्सलियों का आतंक और अत्याचार बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण विकास और रोजगार का अभाव है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद/उग्रवाद/जातिवाद को नियंत्रित करने/रोकने के लिए राष्ट्रीय और राज्य की नीतियों का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, ताकि ऐसे क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि इसी कारण से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय रणनीति के तहत टिस्को और एस्सार द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह कहते हुए अपना तर्क समाप्त किया कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने जनहित चरित्र होने का दावा किया है तथा जनहित में ये रिट याचिकाएं दायर की हैं, वास्तव में उन्होंने ये रिट याचिकाएं कुछ समूहों तथा लोगों के कहने पर दायर की हैं, जिनका इस क्षेत्र में निहित स्वार्थ है, ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा/विलंब हो, तथा इन रिट याचिकाओं के लंबित रहने के कारण, समझौता ज्ञापनों के अनुसरण में उठाए जाने वाले आगे के कदम उस तरह से आगे नहीं बढ़े हैं, जैसी राज्य सरकार तथा टिस्को एवं एस्सार ने अपेक्षा की थी।

(14) टिस्को की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. पाल ने प्रारंभ में कहा कि रिट याचिकाएं पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि इन्हें जनहित याचिकाएं होने का दावा किया गया है, लेकिन वास्तव में इनका उद्देश्य जनहित को हानि पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की देरी से छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे पिछड़े बस्तर क्षेत्र के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं में से कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक व्यक्ति नहीं है और उन्होंने क्षेत्र में कुछ निहित स्वार्थों के कारण और अप्रत्यक्ष और बाहरी कारणों से अपने नाम के साथ ये रिट याचिकाएँ दायर की हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं में से कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता जैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मांगी गई राहतें अस्वीकार्य हैं; दी गई जानकारी गलत और अस्पष्ट (जितनी की हो सकती है) है। याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिकाएँ दायर करने से पहले सही तथ्यों की पुष्टि करने का ध्यान नहीं रखा और उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों और अधिकारियों के साथ–साथ टिस्को और एस्सार के खिलाफ भी बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाए हैं। श्री एस. पाल ने कहा कि आज की स्थिति में, इसमें गुण–दोष के आधार पर समीक्षा करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि टिस्को द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विचार की प्रक्रिया में है और राज्य सरकार को इस पर विचार करना है और केवल बातचीत और परामर्श के बाद ही वह किसी समझौते पर पहुंच सकती है या नहीं भी पहुंच सकती है, और इसलिए, राज्य सरकार और टिस्को और एस्सार द्वारा लोक विधि दायित्वों, विभिन्न विधि का पालन न करने के संबंध में सभी आशंकाएँ और संदेह याचिकाकर्ताओं की उर्वर कल्पना का परिणाम मात्र हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने संदेह करने वाले राक्षसों के रूप में सरकार और उसके अधिकारियों और टिस्को और एस्सार के प्रबंधन की ईमानदारी पर संदेह किया है कि वे प्रत्येक विधि का उल्लंघन करते हुए प्रस्तावित संयंत्र स्थापित करेंगे। श्री पाल ने कहा कि इस संबंध में लगाए गए आरोप पूरी तरह से गैरजिम्मेदाराना और परेशान करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि टिस्को का इस्पात निर्माण में तथा कच्चे माल की खरीद से लेकर बिक्री और विपणन तक इस्पात निर्माण उद्योग के विभिन्न चरणों में लागू सभी विधियों का पालन करने में अच्छा रिकॉर्ड है, तथा टिस्को की ईमानदारी समय–परीक्षित और निर्विवाद है। उन्होंने यह भी कहा कि टिस्को द्वारा प्रस्तुत जवाबके पैरा 20 में जो कहा गया है, उसके संदर्भ में, आक्षेपित समझौता ज्ञापनों के अनुसरण में लोक विधि दायित्वों के अनुरूप कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय के समक्ष लाया गया मुद्दा पूरी तरह से राज्य की औद्योगिक और आर्थिक नीति के क्षेत्र में आता है और याचिकाकर्ता ऐसा कोई आधार बनाने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में पूरी तरह विफल रहे हैं जिसके आधार पर इस नीति का परीक्षण किया जा सके या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जा सके।

(15) श्री विवेक तन्खा, एस्सार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एस. पाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन करते हुए, तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि लोक विधि दायित्वों के मद्देनजर, राज्य या केंद्रीय आर्थिक औद्योगिक पुनर्वास नीतियों या किसी भी लोक विधि का उल्लंघन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके नहीं किया गया है, और याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार आशंकाओं और कल्पनाओं का परिणाम हैं। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि एस्सार के मामले में, उन्होंने प्रस्तावों का कोई पैकेज भी नहीं रखा है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाएँ पूरी तरह से अपरिपक्व हैं, उनका उद्देश्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए सार्वजनिक हित को पूरा करना नहीं है और वे शरारती हैं और उनका उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की स्थापना को रोकना / विलंब करना है, जो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए खतरा है जो मुख्य रूप से आदिवासी हैं। श्री तन्खा ने तर्क प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाएँ आरम्भ से ही खारिज किए जाने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) इससे पहले कि हम प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करें, हम एक तथ्य को अभिलेख पर रखना उचित समझते हैं। जब रिट याचिकाओं पर अंतिम रूप से 22–08–2006 को सुनवाई हुई, तो याचिकाकर्ता संख्या 1 की ओर से रिट याचिका संख्या 2372/2006 में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि उनके वरिष्ठ अधिवक्ता, अर्थात्, श्री कनक तिवारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री सुधा भारद्वाज, याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा की गई प्रस्तुतियों के पूरक के रूप में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं और न्यायालय से अनुरोध किया कि मामले को 23–08–2006 तक स्थगित कर दिया जाए। तदनुसार, उनके विशेष अनुरोध पर, मामले को स्थगित कर दिया गया था। 23–08–2006 को, जब मामला पुकारा गया, श्री प्रतीक शर्मा और उनके वरिष्ठ अनुपस्थित थे और उनकी ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता संख्या 1 भी मौजूद नहीं था। इसलिए, हमने मामले को छोड़ दिया और हमने डॉ. प्रताप अग्रवाल, याचिकाकर्ता को रिट याचिका संख्या 323/2006 में व्यक्तिगत रूप से सुना और हमने टिस्को की ओर से सुश्री मीना

लाल, प्रमुख–विधि (कॉर्पोरेट मामले) को भी तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति दी। उन्हें सुनने के बाद, हमने दूसरी बार फिर से मामले को पुकारा। उस समय भी, याचिकाकर्ता संख्या 1 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई प्रतिनिधित्व किया गया। चूंकि सुश्री सुधा भारद्वाज ने पहले ही रिट याचिका संख्या 2372/2006 में याचिकाकर्ताओं की ओर से व्यापक और विस्तृत तर्क दिया था इसलिए हमने सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रखा। यह ध्यान देने की जरूरत है कि हालांकि रिट याचिका 2372/2006 दो याचिकाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है, उनके तर्कों आधार, प्रस्तुत दस्तावेज एक ही हैं और वे कोई अलग अनुतोष नहीं मांग रहे हैं, हमने श्री प्रतीक शर्मा के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है कि मामले को 23–08–2006 तक स्थगित कर दिया जाए ताकि उन्हें या उनके वरिष्ठ को सुश्री सुधा भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कर सकें और वे अवसर का लाभ उठाने में विफल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक आम याचिका दायर की जाती है, तो सौ या हजार व्यक्ति हो सकते हैं, प्रत्येक याचिकाकर्ता या प्रत्येक याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को अलग से सुना जाना चाहिए। तथापि, दिनांक 24–08–2006 को श्री कनक तिवारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें लिखित तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए और हमने उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और न केवल उन्हें बल्कि पक्षकारों की ओर से उपस्थित सभी विद्वान अधिवक्ताओं को, यदि वे चाहें तो, दिनांक 28–08–2006 को या उससे पहले अपने लिखित तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी। कट–ऑफ तिथि अर्थात 28–08–2006 को या उससे पहले या आज तक याचिकाकर्ताओं की ओर से रिट याचिका संख्या 2372/2006 में कोई लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(17) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, हमारा यह विचार है कि रिट याचिकाएं न केवल अपरिपक्व हैं, बल्कि निराधार आरोपों और अटकलों पर आधारित हैं। समझौता ज्ञापन केवल प्रस्ताव, कार्य योजना हैं। इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को प्रस्तावों पर विचार करना है और छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक प्रस्तावों पर विचार नहीं किया है और न ही इस मामले में निर्णय लिया है। केवल अगर छत्तीसगढ़ सरकार अंततः टिस्को और एस्सार के साथ समझौते में प्रवेश करती है, तो इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए विभिन्न आगे के कदम उठाने होंगे, और इस स्तर पर

छत्तीसगढ़ सरकार के साथ–साथ टिस्को और एस्सार द्वारा विभिन्न विधि के तहत उत्पन्न लोक विधि दायित्वों का पालन नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता। जबकि यह निर्विवाद स्थिति है, और प्रस्ताव विचार की प्रक्रिया में हैं, याचिकाकर्ताओं को लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार और टिस्को और एस्सार के बीच पहले से ही समझौते हुए हैं और वे वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; एमएमआरडी अधिनियम, 1957; वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का उल्लंघन करते हुए बस्तर क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित करने जा रहे हैं; जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के साथ–साथ विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य पुनर्वास नीतियों आदि के विरुद्ध भी आरोप लगाए गए हैं।

(18) इस मामले को देखते हुए, रिट याचिकाएँ आरम्भ से ही अपरिपक्व और निराधार आरोपों और अटकलों पर आधारित होने के कारण खारिज की जा सकती हैं। सुनवाई के दौरान, सुश्री सुधा भारद्वाज, डॉ. प्रताप अग्रवाल और श्री मनिंद्र श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने न्यायालय से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ–साथ टिस्को और एस्सार को परियोजना को क्रियान्वित करने से पहले ऊपर उल्लिखित विधि से उत्पन्न लोक विधि के दायित्वों का पालन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। हालाँकि ऐसा निर्देश नहीं मांगा जा सका और न ही न्यायालय ऐसा कर सकती है। पूरी निष्पक्षता से, श्री प्रशांत मिश्रा, विद्वान महाधिवक्ता, श्री एस. पाल, टिस्को की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री विवेक तन्खा, एस्सार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब और आक्षेपित एमओयू में सुसंगत खंडो का हवाला देते हुए कहा कि इस्पात संयंत्रों को सुसंगत लागू विधि से उत्पन्न लोक विधि दायित्वों के अनुरूप होने के बाद ही स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य और उसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जवाब के पैरा 26 में कहा गया है कि टिस्को और एस्सार को "विधि के ढांचे के भीतर वैधानिक मंजूरी, अनुमोदन, लाइसेंस आदि प्राप्त करने के बाद इस्पात संयंत्र स्थापित करना आवश्यक है, अर्थात पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, वायु अधिनियम, जल अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, छ.ग सिंचाई अधिनियम और अन्य सभी सुसंगत, लागू और प्रवर्तनशील विधि। इसके अलावा, बहस के दौरान विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राज्य सरकार के साथ–साथ टिस्को और एस्सार द्वारा सभी लागू विधि और राज्य सरकार की नीतियों का अनुपालन किया जाएगा। टिस्को और एस्सार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस पाल और श्री विवेक तन्खा ने भी न्यायालय के समक्ष इसी तरह के वचन दिए। प्रस्तावित समझौता ज्ञापनों में सुसंगत खंडो को ध्यान में रखते हुए, एक ओर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा और दूसरी ओर टिस्को और एस्सार द्वारा अपने–अपने जवाब में परियोजनाओं के निष्पादन में सभी लोक विधि दायित्वों का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायतें निर्णय लेने के लिए टिक नहीं पाती हैं और न ही टिक सकती हैं।

(19) ऐसा नहीं है कि आक्षेपित समझौता ज्ञापन राज्य सरकार के सुसंगत लोक विधि और नीतियों का अनुपालन किए बिना परियोजनाओं के निष्पादन की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, टिस्को के साथ हस्ताक्षरित आक्षेपित समझौता ज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार वैधानिक प्रावधानों (बल दिया गया) के अधीन खनन पट्टा प्रदान करके टिस्को की लौह अयस्क की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत हो गई है। समझौता ज्ञापन में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण खंड खंड (सी) और (ई) हैं। इन धाराओं के अनुसार टिस्को को लौह अयस्क खदान खोलने, सड़क, रेल बिछाने और टाउनशिप के निर्माण आदि के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरण और वन सहित सभी मंजूरी प्राप्त करनी होगी। समझौता ज्ञापन में यह भी प्रावधान है कि टिस्को द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस्पात क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कैप्टिव उपयोग हेतु कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए भारत सरकार के लागू विधि और नीति (बल दिया गया) के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध ऐसे क्षेत्रों में कैप्टिव उपयोग के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने की सिफारिश करने पर सहमति व्यक्त की है। एमओयू में यह भी कहा गया है कि टिस्को इस्पात सयंत्र और टाउनशिप के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को आवश्यक अनुमति और मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही उपलब्ध कराएगा। इसमें बिजली के उत्पादन/वितरण के संबंध में वैधानिक अनुमति प्राप्त

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करने के प्रावधान भी शामिल हैं। टिस्को के मामले में ऊपर उल्लिखित समान खंड एस्सार के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में भी हैं। इस प्रकार, यह सुस्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं, कथित एमओयू को गुमराह करते हैं और निराधार आशंकाएं हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार, टिस्को और एस्सार लोक विधि दायित्वों का उल्लंघन करते हुए परियोजनाओं को निष्पादित करेंगे।

(20) अन्यथा भी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय के समक्ष लाया गया आक्षेप न्यायोचित नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार और उसके अधिकारियों ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने राज्य में औद्योगिक विकास और वृद्धि को गति देने के लिए राज्य औद्योगिक नीति के अनुसरण में टिस्को और एस्सार के साथ आक्षेपित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि रोजगार के बेहतर अवसर पैदा किए जा सकें और सामान्य रूप से लोगों और विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। यह कहा गया है कि बस्तर जिले में रहने वाले लोग, जो मुख्य रूप से आदिवासियों द्वारा बसा हुआ है, मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में रहने वाले लोगों की तुलना में सबसे गरीब हैं और पूरा बस्तर क्षेत्र गरीबी से त्रस्त है। उन्होंने बस्तर क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी को उजागर करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जिलेवार आंकड़े दिखाते हुए अनुलग्नक आर–2 के रूप में चिह्नित एक चार्ट भी संलग्न किया है। यह भी कहा गया है कि राज्य औद्योगिक नीति में राज्य में अपेक्षित निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन और रियायतें प्रदान की गई हैं।

(21) इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राजकोषीय और औद्योगिक नीति के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टिस्को और एस्सार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य के नीतिगत निर्णयों की न्यायिक पुनर्विलोकन बहुत सीमित है। न्यायालयों ने आर्थिक और औद्योगिक निर्णयों और नीतियों में हस्तक्षेप करने से लगातार परहेज किया है, क्योंकि न्यायालयों को यह अहसास है कि आर्थिक सुविधाओं में न्यायिक प्रवृत्ति का अभाव है और जब तक आर्थिक सुविधाओं पर आधारित आर्थिक निर्णय संवैधानिक और विधिक सीमाओं का उल्लंघन करने वाला या तर्क के प्रति

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इतना घृणित नहीं साबित होता, न्यायालय हस्तक्षेप करने से मना कर देंगे। आर्थिक मुद्दों से संबंधित मामलों में, सरकार को निर्णय लेते समय "परीक्षण और त्रुटि" का अधिकार है, जब तक कि परीक्षण और त्रुटि दोनों ही वास्तविक हों और अधिकार की सीमाओं के भीतर हों।

(22) प्रीमियम ग्रेनाइट्स बनाम तमिलनाडु राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने में न्यायालय की शक्तियों पर विचार करते हुए पैरा 54 में इस प्रकार अवधारित किया

> "54. न्यायालय का यह अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वह लोक नीति के अज्ञात सागर में उतरकर यह विचार करे कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमानीपूर्ण है या कोई बेहतर लोक नीति विकसित की जा सकती है। इस तरह की कवायद को कार्यकारी और विधायी अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(23) सर्वोच्च न्यायालय ने एम.पी. ऑयल एक्सट्रैक्शन बनाम एम.पी. राज्य में तेल निकालने के लिए साल के बीजों की आपूर्ति के लिए किए गए समझौतों से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य की औद्योगिक नीति की वैधता पर विचार करते हुए, पैरा 41 में यह अवधारित किया है कि:–

> "41. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 1979 की औद्योगिक नीति, जिसे बाद में समय–समय पर संशोधित किया गया था, को मनमाना नहीं माना जा सकता है तथा यह किसी भी कारण से नहीं बल्कि केवल मध्य प्रदेश की राज्य सरकार की स्वयं के कथन पर आधारित है। राज्य के कार्यकारी प्राधिकारी को राज्य के प्रशासन के लिए नीति बनाने की अपनी क्षमता के भीतर माना जाना चाहिए। जब तक बनाई गई नीति पूरी तरह से मनमानी न हो तथा किसी भी कारण से सूचित न हो, इसे स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं माना जा सकता है तथा यह केवल कार्यकारी पदाधिकारियों की स्वयं के कथन पर आधारित है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है या ऐसी नीति अन्य संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है या किसी वैधानिक प्रावधान के साथ टकराव में आती है, न्यायालय अपनी

सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता है तथा राज्य के कार्यकारी अधिकारी के नीतिगत निर्णय में छेड़छाड़ करके ऐसा नहीं करना चाहिए। इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह संकेत देकर चेतावनी दी है कि नीतिगत निर्णय राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के अधिकार क्षेत्र में है और न्यायालय को सार्वजनिक नीति के अज्ञात सागर में नहीं उतरना चाहिए और ऐसी नीति की प्रभावकारिता या अन्यथा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, जब तक कि वह विधि या भारत के संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन न करे। राज्य के तीनों अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपने–अपने कार्यक्षेत्र में सर्वोच्चता पर जोर दिया जाना चाहिए। कार्यकारी और विधायी कार्रवाई की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को संवैधानिक योजना की सीमाओं के भीतर रखा जाना चाहिए ताकि न्यायपालिका की भूमिका के बारे में संदेह पैदा करने का कोई अवसर न हो, जो इन दिनों अक्सर चर्चा में रहने वाली अनुचित न्यायिक सक्रियता द्वारा अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसके प्रति राजनीति इतनी गहराई से प्रतिबद्ध है, तब तक ठीक से काम नहीं कर सकती जब तक कि तीनों अंगों में से प्रत्येक की सर्वोच्चता न हो। अपने–अपने क्षेत्रों में परस्पर सम्मान और सर्वोच्चता की आवश्यकता को समझते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(24) इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने भावेश डी. पारिख बनाम भारत संघ के मामले में आर्थिक नीति के मामलों की न्यायिक पुनर्विलोकन के सीमित दायरे पर जोर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–एस की वैधता की जांच करते हुए, निर्णय के पैरा 26 में इस प्रकार कहा गया:

> "26. भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ अनौपचारिक क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को परिमाणित नहीं किया जा सकता। हालाँकि, आर्थिक प्रगति के मार्ग में, यदि अनौपचारिक प्रणाली को बेहतर विनियमन और अनुशासन में सक्षम एक अधिक संगठित प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करने की मांग की गई थी, तो यह एक आर्थिक

दर्शन था जो विचाराधीन विधान में परिलक्षित होता है। इस तरह के दर्शन के अपने गुण और दोष हो सकते हैं। लेकिन ये आर्थिक नीति के मामले थे। इन्हें विधानमंडल की बुद्धि पर छोड़ देना सबसे अच्छा है और नीतिगत मामलों में, स्वीकृत सिद्धांत यह है कि न्यायालयों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, बदले हुए आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में, इस विषय से निपटने वाले लोगों की विशेषज्ञता में हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के निषेध के परिणाम बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकते हैं और समय को कई वर्षों के लिए पीछे धकेल सकते हैं। अर्थव्यवस्था में व्याप्त कमियों को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया गंभीर संकट में पड़ सकती है, इसलिए यह आवश्यक है कि आर्थिक विधान से निपटते समय यह न्यायालय मनमाने ढंग से की जाने वाली कार्रवाई या असंवैधानिक विधि पर अंकुश लगाने के अपने अधिकार क्षेत्र का परित्याग न करते हुए केवल उन मामलों में हस्तक्षेप करे, जहां विधि में दर्शाए गए दृष्टिकोण को अपनाया जाना संभव नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(25) बाल्को कर्मचारी संघ (पंजीकृत) बनाम भारत संघ और अन्य 5 के पैरा 46 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया

"46. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यह न तो न्यायालयों के अधिकारिता में है और न ही न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में है कि इस बात की जांच की जाए कि कोई विशेष लोक नीति बुद्धिमानीपूर्ण है या नहीं या इससे बेहतर लोक नीति विकसित की जा सकती है। न ही हमारे न्यायालय किसी याचिकाकर्ता के कहने पर किसी नीति को केवल इसलिए रद्द करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि यह तर्क दिया गया है कि कोई अलग नीति अधिक न्यायपूर्ण या बुद्धिमानीपूर्ण या अधिक वैज्ञानिक या अधिक तार्किक होती।"

(26) उसी निर्णय में, कंडिका 93 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया

"93. आर्थिक नीतियों की बुद्धिमत्ता और सलाह आमतौर पर न्यायिक पुनर्विलोकन के

लिए उत्तरदायी नहीं होती है, जब तक कि यह प्रदर्शित न किया जा सके कि नीति किसी वैधानिक प्रावधान या संविधान के विपरीत है। दूसरे शब्दों में, यह न्यायालयों का काम नहीं है कि वे विभिन्न आर्थिक नीतियों के सापेक्ष गुणों पर विचार करें और विचार करें कि क्या कोई बेहतर या समझदारीपूर्ण नीति विकसित की जा सकती है। किसी नीति की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए, संसद ही उपयुक्त मंच है, न कि न्यायालय"।

(27) इस प्रकार, अब यह सुस्थापित हो चुका है कि न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रयोग में नीति निर्णय के क्षेत्र में तब तक अतिक्रमण नहीं करेंगे, जब तक कि यह प्रदर्शित न हो जाए कि आक्षेपित नीति निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला है। यह याद रखना होगा कि राज्य की आर्थिक, औद्योगिक और विकासात्मक नीतियों के जटिल क्षेत्र में, जिसमें कोई आदर्श विकल्प मौजूद नहीं है, न्यायालय न्यायिक जांच के बहुत कठोर मानक लागू नहीं करना चाहिए, अन्यथा सभी राजकोषीय, औद्योगिक और विकासात्मक योजनाएं आलोचना का विषय बन जाएंगी कि न्यायालय के हस्तक्षेप और/या निर्णयों से राज्य की विकास गतिविधियों में देरी होगी। आर्थिक, औद्योगिक और विकास मामलों के प्रश्नों पर, सरकार जो लोगों के प्रति जवाबदेह है, के पास नीतिगत निर्णय लेने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता होनी चाहिए; और ऐसी नीतियों की औचित्य या न्यायसंगतता पर विचार करना न्यायालय का काम नहीं है और न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब उसे लगे कि आक्षेपित नीति संवैधानिक और वैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करती है।

(28) रिट याचिका क्रमांक 323/2006 के याचिकाकर्ता डॉ. प्रताप अग्रवाल के अनुसार राज्य सरकार को टिस्को और एस्सार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित ग्राम सभाओं या पंचायतों की सहमति लेनी चाहिए थी। उक्त अधिनियम की धारा 4, संविधान के भाग 9 के अपवाद तथा उपान्तरण से सम्बद्ध है और 9 में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधानित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करती है कि संविधान के भाग –9 में निहित किसी भी बात के बावजूद राज्य का विधानमंडल उस भाग के तहत कोई विधि नहीं बनाएगा जो उसके खंड (ए) से (ओ) में निर्दिष्ट कतिपय विशेषताओं से असंगत हो। खंड (i) में प्रावधान है कि विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित करने या पुनर्वासित करने से पहले उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों से परामर्श किया जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और कार्यान्वयन राज्य द्वारा समन्वित किया जाएगा। खंड (i) में संबंधित ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श की आवश्यकता है, न कि भूमि अधिग्रहण के लिए ऐसी ग्राम सभा या पंचायत की सहमति प्राप्त करना। इस पहलू पर हमें और अधिक विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए टिस्को और एस्सार के साथ अंततः समझौता किए जाने के बाद ही प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रश्न उठेगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(29) परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि टिस्को और एस्सार के साथ आक्षेपित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना किसी भी संवैधानिक सीमाओं या वैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है। दूसरी ओर, हमारा यह सुविचारित मत है कि यदि आक्षेपित समझौता ज्ञापनों के तहत परिकल्पित परियोजनाएं पूरी होती हैं और विधि के अनुरूप सख्ती से क्रियान्वित होती हैं, तो वे छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे पिछड़े क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की शुरुआत करेंगी। हालाँकि, हम यह जोड़ना चाहते हैं कि बस्तर प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर भूमि है। यहाँ जंगल और खनिजों की भरमार है। यहाँ गरीब, अशिक्षित आदिवासी भी रहते हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं, तथा अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि यदि खनिज संपदा के दोहन के लिए आक्षेपित समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत परिकल्पित परियोजनाएं पूरी होती हैं, तो राज्य सरकार, जैसा कि उसने हमारे समक्ष वचन पत्र दिया है, यह सुनिश्चित करेगी कि बस्तर के वनस्पतियों और जीव–जंतुओं, पर्यावरण और सुंदर वनों तथा औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सभी वैधानिक आवश्यकताओं के साथ–साथ बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों के लिए पुनर्वास नीति का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(30) परिणामस्वरूप तथा पूर्वोक्त कारणों से, हम सभी रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं। हालाँकि, वाद व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/–
मुख्य न्यायाधिपति
07–09–2006

सही/–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश
07–09–2006

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smt. Vijaylaxmi Pradhan [Adv.]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur